1

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय भोपाल

/ / आदेश / /

भोपाल, दिनांक 18/07/2018

क्रमांक एफ 3–22/2013/26–2 मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांकएफ 3–22/2013/26–2, दिनांक 11/01/2018 में आंशिक संशोधन करते हुये मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत निम्नानुसार प्रोत्साहन लाभ प्रदान किये जावेगें :–

निःशक्तता का प्रकार	सामग्री का नाम	सामग्री दी जाने की व्यवस्था
दृष्टिबाधित	लेपटॉप	9वीं कक्षा में प्राप्तांक 50 प्रतिशत होने पर 10वीं कक्षा में प्रथम बार प्रवेश लेने पर अथवा आई.टी.आई. में प्रवेश लेने पर
श्रवणबाधित	लेपटॉप	9वीं कक्षा में प्राप्तांक 50 प्रतिशत होने पर 10वीं कक्षा में प्रथम बार प्रवेश लेने पर अथवा आई.टी.आई. में प्रवेश लेने पर
अस्थिबाधित	लेपटॉप	9वीं कक्षा में प्राप्तांक 60 प्रतिशत होने पर 10वीं कक्षा में प्रथम बार प्रवेश लेने पर अथवा आई.टी.आई. में प्रवेश लेने पर
अस्थिबाधित (शरीर का निचला भाग प्रभावित होने से चलने में अक्षम न्यूनतम 60ः निःशक्तता)	मोटराईज्ड ट्राइसाइकिल	10वीं कक्षा में प्रथम बार प्रवेश लेने पर अथवा स्नातक में प्रवेश लेने पर
मंदबुद्धि	लेपटॉप	9वीं कक्षा में प्राप्तांक 50 प्रतिशत होने पर 10वीं कक्षा में प्रथम बार प्रवेश लेने पर अथवा आई.टी.आई. में प्रवेश लेने पर
टीपः– दिव्यांग विद्यार्थी द्वारा कक्षा 10 वीं में प्रवेश लेने पर एक बार लेपटॉप प्राप्त करने पर द्वितीय बार आई.टी.आई. में प्रवेश लेने पर लेपटॉप की पात्रता नहीं होगी।		

2/– मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के उपर्युक्त निर्देशों के परिपेक्ष्य में जिस जिले के हाई स्कूल / हायर सेकेण्डरी स्कूल / आई.टी.आई में दिव्यांग विद्यार्थी द्वारा प्रवेश लिया जाता है, उसी जिले द्वारा योजनांतर्गत नियमानुसार लाभ प्रदान किया जावेगा ।

3/– आई.टी.आई में प्रवेशित उन्ही छात्रों को उक्त योजनांतर्गत लेपटॉप प्रदाय किया जावेगा, जो कम्प्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट पाठयक्रम अथवा कम्प्यूटर आधारित

किसी अन्य पाठयक्रम में प्रवेश लेता है ।

4/– दिव्यांगजन को किसी भी स्थिति में द्वितीय बार लेपटॉप/मोटराईज्ड ट्राइसाइकिल प्रदान नहीं की जावेगी। तथा पूर्व में शासन की किसी भी योजनांतर्गत लेपटॉप प्राप्त नही किया गया है यह सुनिश्चित किया जायें।

उपरोक्त के अतिरिक्त शेष प्रावधान मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2013 के संबंध में जारी परिपत्र क्र. एफ 3– 22/2013/26–2 दिनांक 20.6.2013 अनुसार यथावत रहेगें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

18/7/18

(चन्द्रकान्त कश्यप)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

पृ.क्रमांक एफ 3–22/2013/26–2 **भोपाल दिनांक 18 /07/2018**

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर।
5. विशेष सचिव, मा0मंत्रीजी/राज्य मंत्रीजी, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग।
6. संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय।
7. आयुक्त, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण/ चिकित्सा शिक्षा/उच्च शिक्षा/स्कूल शिक्षा/ आदिम जाति कल्याण/अनुसूचित जनजाति कल्याण।
8. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय।
9. समस्त संभागायुक्त, म0प्र0।
10. समस्त कलेक्टर, म0प्र0।
11. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं ग्रामीण विकास।
12. समस्त संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण म0प्र0।
13. समस्त प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, क्रमांक–1,2,3 भोपाल।
14. गार्ड फाईल।

18/7/18

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग